Volume-9, No. 2 Aug.-2022, pp. Hin.37-39

भूमण्डलीकरण और बाजार वाद के प्रभाव से हिन्दी–उर्दू की टूटती धार्मिक बेड़ियां

डॉ० प्रमोद कुमार,
विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग,
श्री चित्रगुप्त पी.जी. कॉलेज, मैनपुरी (उ०प्र०) भारत

हिन्दी और उर्दू भाषा लगभग एक साझी सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पैदा हुई। ये दोनों भाषा जिस पालने में पलीं–बढ़ीं, वह उत्तरी भारत था। शहरों के विकास और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच मेल–जोल बढ़ने लगा तो आम बोल–चाल की भाषा के तौर पर एक खड़ी बोली का विकास हुआ। यह खड़ी बोली ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी, संस्कृत, फारसी, अरबी के मिश्रण का परिणाम थी। यह खड़ी बोली हिन्दी–उर्दू की जननी है। यहाँ पर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों भाषाओं का अतीत लगभग समान परिस्थितियों से बना है। हिन्दी का उद्‌भव यदि 1000 ई0 के आसपास माना जाता है तो उर्दू का विकास 1200 ई0 के बाद हुआ। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खड़ीबोली क्षेत्र, इन दोनों भाषाओं का जन्म स्थान है। उर्दू के जाने माने शायर कान्ती मोहन सोज मानते हैं कि हमारे यहाँ भाषाओं के अपने–अपने प्रदेश हैं। सौभाग्य से हिन्दी और उर्दू का एक ही प्रदेश है। इनका स्रोत एक है। दोनों ने जो शब्द–सम्पदा गढ़ी है, वह इसी प्रदेश की बोलियों से ली है। दोनों भाषाओं में लगभग 70 प्रतिशत शब्द स्थानीय बोलियों से लिये गये हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर इन्हें एक ही होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से यह एकता बोल–चाल में तो दिखाई पड़ती है, लेकिन लिखित रूप में नहीं। इन दोनों भाषाओं को दो अलग धर्मों से जोड़ दिया गया। उर्दू में अरबी, फारसी के शब्द भरे जाने लगे और हिन्दी में संस्कृत के। परिणामस्वरूप भाषाओं के संस्कृतीकरण से उनके भीतर का सौंदर्य जाता रहा। उनके अलंकार, मुहावरे और कहावतें गायब होने लगीं।

मुख्य शब्द– हिन्दी भाषा, उर्दू भाषा

आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने अपने हिन्दी लेखन को हिन्दवी कहा है। इनसे पहले के मुसलमान अपनी कविताएँ फारसी में लिखते थे और हिन्दू अपना साहित्य डिंगल अथवा अपभ्रंश भाषाओं में। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जानते थे कि सामान्य जनमानस की भाषा न तो अपभ्रंश थी और न फारसी, फिर भी दोनों धर्मों के कवि उन्हीं भाषाओं पर आसक्त थे, जिन्हें सामान्य जनमानस नहीं समझता था। अमीर खुसरो ने प्रचलित जनभाषा में रचना करके हिन्दी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। इस प्रकार अमीर खुसरो खड़ी बोली हिन्दी–उर्दू दोनों के जनक हुए हैं। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि उर्दू का शाब्दिक अर्थ ही छावनी/लश्कार/फौज है, जिसका तात्पर्य एक ऐसी जुबान से है, जो विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, धर्मों के लोगों को एक जगह एकत्रित होने के परिणामस्वरूप सामने आती है। उर्दू का एक अन्य नाम रेखता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, विभिन्न भाषाओं का मेल। जो लोग हिन्दी और उर्दू को मजहबी चश्मे से देखते हैं, उन्हें यह बताया जाना आवश्यक है कि रसखान हिन्दी कविता के एक बड़े प्रारम्भिक हस्ताक्षर थे, तो आधुनिक उर्दू साहित्य के जनक मुंशी प्रेमचन्द्र थे। हिन्दी के लिए जितना योगदान हिन्दुओं का था, उससे कम योगदान मुसलमानों का नहीं था। उस समय के लगभग सभी मुसलमान कवियों ने हिन्दी में काव्य रचना की थी। उस समय फारसी दरबार की भाषा थी, तो हिन्दी और उर्दू जनता की भाषाएं थीं।

हिन्दी–उर्दू को बांटने का काम प्लासी के युद्ध सन् 1775 में अंग्रेजों की जीत के बाद शुरू

हो गया और हिन्दी वालों को तब पहला झटका लगा, जब सन् 1837 में अंग्रेजों ने उत्तर भारत में फारसी की जगह उर्दू को राजभाषा बना दिया। सन् 1857 में बगावत के बाद अंग्रेज शासकों ने इसको चरम सीमा पर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं हिन्दी का हिन्दूकरण और उर्दू का इस्लामीकरण करने हेतु कलकत्ता और बनारस में मौलवी और पंडितों को जमा किया गया। हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करवाया गया। जहाँ 'मुस्लिम लीग' का नारा था– "मुसलमान और उर्दू के लिए लेकर रहेंगे पाकिस्तान" तो 'हिन्दी–हिन्दुस्तान' का नारा बुलन्द करने वाले भी कम आक्रामक नहीं थे। जो राजनीति हिन्दी और उर्दू को मजहबी जामा पहना रही थी, उसने सबसे ज्यादा खिलवाड़ उस इतिहास और उन तथ्यों से किया, जो इन दोनों भाषाओं के जन्म और विकास के अभिन्न अंग थे। सन् 1860 में बनी शिक्षानीति में दोनों भाषाओं को उत्तर–भारत में पढ़ाई के माध्यम के रूप में मान्यता दे दी गयी। चूंकि राजभाषा उर्दू थी, इसलिए नौकरी उन्हीं को मिलती थी, जिनको उर्दू आती थी। जैसा कि सन् 1857 के इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों ने जानबूझ कर एक साजिश के तहत दोनों भाषाओं को दो मजहबों से जोड़ दिया। अंग्रेजों की इसी भेद–भाव पूर्ण नीति के कारण सन् 1900 ई0 तक इतना ज्यादा तनाव बढ़ गया कि हिन्दू–मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बीसवीं शताब्दी के आजादी के आन्दोलन के साथ–साथ यह समस्या और गहरी होती गई। इधर कांग्रेस का उदार हिन्दू–नेतृत्व जहाँ हिन्दी–उर्दू मिश्रित हिन्दुस्तानी को आजाद भारत की राजभाषा बनाना चाहता था, वहीं हिन्दी समर्थकों का एक समूह हिन्दी भाषा को। मतभेद इतने गहरे हो गये कि सन् 1942 में महात्मा गांधी को हिन्दी साहित्य सम्मेलन से इस्तीफा देना पड़ा। उधर मुसलमानों का कट्टरपंथी जत्था उर्दू को लेकर पहले ही खड्गहस्त था। फिर अलग पाकिस्तान बनाने के विचार ने आग में घी डालने का काम किया। आजादी मिलने के बाद हिन्दुस्तान में यदि हिन्दी या हिन्दुस्तान के मसले पर हिन्दी–वादियों की जीत हुई, तो उधर पाकिस्तान में उर्दू लागू हो गई। दुर्भाग्यवश लाहौर जो आजादी से पहले हिन्दी का गढ़ हुआ करता था, वहाँ उर्दू की सगी बहन हिन्दी की पढ़ाई पर एकदम रोक लगा दी गई।

हिन्दी–उर्दू के बीच 150 वर्षों के अलगाव के बाबजूद भाषा वैज्ञानिक उन्हें दो भाषाएं नहीं मानते। वे इन्हें एक ही भाषा की दो शैलियाँ मानते हैं। भाषाविज्ञान ने तो हिन्दी–उर्दू का व्याकरण भी एक माना है। इसलिए हिन्दी और उर्दू को एक भाषा मानना चाहिए। भाषाओं के सम्बन्ध में हम लोगों को एक सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि भाषाओं को जनता बनाती है। जनता उसकी सुरक्षा करती है, परन्तु सच्चाई यह है कि ऐतिहासिक शक्तियाँ, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक शक्तियाँ भाषाएं बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। उर्दू का विकास भी एक विशेष राजनैतिक और सामाजिक परिस्थिति की ही देन है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि भाषा वैज्ञानिकों की बात मानी जाए या भारतीय संविधान को सही माना जाए? क्योंकि भारतीय संविधान हिन्दी और उर्दू को दो भाषाओं के रूप में मानता है। भाषा विज्ञान के अनुसार किसी भाषा के अस्तित्व के लिए उसकी शब्द सम्पदा, वाक्य–विन्यास और ध्वनियाँ प्रमुख होती हैं। हिन्दी और उर्दू की लगभग 70 प्रतिशत शब्द सम्पदा एक समान है। वह चाहे देशज हो या बाहर से आई हुई। भारत में इन्हें अलग करने वाली सबसे बड़ी कारक लिपियाँ हैं। उर्दू की लिपि फारसी पर आधारित है, तो हिन्दी की देवनागरी पर। भाषा वैज्ञानिक लिपि को भाषा के लिए महत्वपूर्ण कड़ी तो मानते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए हिन्दी को आप देवनागरी के अलावा रोमन लिपि में भी लिखते हैं। अंग्रेजी को आप रोमन के अलावा देवनागरी में भी लिखते हैं। भाषाओं के विकास के लिए सबसे जरूरी यह है कि उन्हें अपनी जमीन से खाद–पानी मिलते रहना चाहिए। यह काम देश की माटी से ही सम्भव है। आप अरबी–फारसी या संस्कृत की कहावतों को सामान्य जन–मानस को नहीं सुना सकते।

टी0वी0 पत्रकार इकबाल कुरैशी ठीक ही कहते हैं कि दरअसल दोनों भाषाओं के बीच की दीवारें बेवुनियाद हैं। संचार माध्यमों के एक झोंके में ही वे धराशायी होने लगी हैं। यद्यपि फिल्मों ने दोनों भाषाओं की इन दीवारों को हिलाने का काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन तब इतना एक्सपोजर नहीं था। फिल्म देखने के लिए हमें सिनेमा हाल तक जाना पड़ता था। परन्तु अब टी0वी0 ने घर–घर पहुँचकर दोनों भाषाओं के बीच की बंटवारे की दीवार गिराकर एक समतल प्लेटफार्म बना दिया है। आज आप रेलवे–स्टेशन या बस–स्टैण्ड के बुक–स्टाल पर जाकर देखें, तो वहाँ 'महकता आंचल' खूबसूरत अंदाज आदि पत्रिकाएं उर्दू के स्थान पर हिन्दी में इसलिए आने लगीं, क्योंकि मुसलमान घरों की बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है, जो उर्दू तो जानती हैं, लेकिन उन्हें स्क्रिप्ट नहीं आती। उनकी भाषा नहीं बदली, उर्दू की मिठास बरकरार रखी। देवनागरी में उर्दू पत्र–पत्रिकाओं की सफलता को देखकर इस्लाम की मजहबी किताबें भी देवनागरी में आ रही हैं, क्योंकि मुस्लिमों की नई नस्ल को उर्दू की बजाय देवनागरी ज्यादा सरल लग रही है। यानी देवनागरी की वजह से एक बार फिर हिन्दी और उर्दू एक दूसरे के करीब आई हैं। आज हमारे यहाँ समाज में न तो संस्कृत मिश्रित हिन्दी को पसन्द किया जा रहा है और न ही फारसी मिश्रित उर्दू को। आज ऐसी भाषा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें हिन्दी और उर्दू के साथ–साथ अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी हों। दोनों भाषाओं के एकीकरण की प्रक्रिया में इंटरनेट भी अपनी महती भूमिका निभा रहा है। जहाँ एक तरफ हिन्दी की बेवसाइटों पर उर्दू की गजलें और शेरो–शायरी दिखाई देती है, तो उर्दू की साइटों पर हिन्दी को स्थान दिया गया है। देवनागरी के माध्यम से उर्दू–साहित्य को प्रकाश में लाने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। 'उर्दू नेट डॉट काम' उर्दू साहित्य नाम की साइट देवनागरी में बनाई गई है।

भाषा चाहे हिन्दी हो या उर्दू वह तभी तक जीवंत बनी रह सकती है, जब तक उसका सम्पर्क लोकभाषा के साथ बना रहे। इसके बिना वह दरिद्र हो जाती है। इसलिए यदि हमें हिन्दी–उर्दू को विश्व स्तर पर आगे ले जाना है, तो इन दोनों भाषाओं को एक दूसरे के करीब लाना ही होगा। अब भाषाओं के तवे पर राजनीति की रोटियां सेंकने का जमाना चला गया। जब क्रिस्टोफर किंग की किताब 'वन लैंग्वेज इन टू स्क्रिप्टस' बाजार में आई, तो इस किताब का बड़ा विरोध हुआ। आज क्या हो रहा है? उर्दू वाले हिन्दी की ओर झुक रहे हैं और हिन्दी वालों को लगता है कि बिना उर्दू के उनकी हिन्दी खूबसूरत नहीं बनती। दोनों भाषाओं की अपनी–अपनी खूबियाँ हैं। मेरे विचार से ग्लोब्लाइजेशन के इस युग में साहित्यिक–हिन्दी और साहित्यिक–उर्दू के बीच आम आदमी की समझ में आने वाली एक हिन्दुस्तानी भाषा (हिन्दी–उर्दू मिश्रित) विकसित हो रही है। हमें धार्मिक भेद–भाव मिटाकर इस भाषा का स्वागत करना चाहिए। यही भाषा भविष्य में विश्व के मानचित्र पर अपना परचम फहरायेगी। हमें हिन्दी–उर्दू दोनों की खूबियों को समझना चाहिए और इस सच्चाई को कबूल करना चाहिए। वरना रोमन और अंग्रेजी की आंधी के सामने हम इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे।

मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिन्दी मुस्कराती है।
लिपट जाता हूँ माँ से, और मौसी मुस्कराती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. अमर उजाला हिन्दी दैनिक
2. दैनिक जागरण हिन्दी दैनिक
3. हिन्दूस्तान हिन्दी दैनिक
4. पंजाब केशरी हिन्दी दैनिक